राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
Email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांकः एफ 61(378)SSAAT /SA/MG-NREGAREPORT / 2023–24 दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक (EGS),
एवं जिला कलेक्टर,
(समस्त)राजस्थान।

विषयः– मनरेगा योजना में हुए कार्यो का वर्ष 2023–24 में सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के उपरांत जारी वार्षिक रिपोर्ट।

संदर्भः– SSAAT द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2023–24।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मनरेगा योजना के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त जारी रिपोर्ट का अध्ययन SSAAT की website पर किया जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 1391 आक्षेप लिये गये है जिनका जिलेवार गोश्वारा रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 32 पर प्रदर्शित है। कुल 1391 आक्षेपो में 334 प्रकरण वित्तीय अनियमितताओ, 181 प्रकरण वित्तीय विचलन, 655 प्रकरण प्रक्रियाओं के उल्लंघन तथा 221 प्रकरण शिकायतो से संबंधित है। राज्य के लगभग सभी जिलो में यह प्रकरण उजागर हुए है।

महात्मा गॉधी नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण में निम्न अनियमतताऐं/कमियां अंकेक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई, जो यह प्रदर्शित करती है कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही, शिकायतों का निवारण आदि का अभाव देखने को मिला है :–

- अधिकांश ग्राम पंचायतो में अपडेटेड वॉल पेन्टिंग नहीं देखी गयी।
- कार्यस्थलों पर निरीक्षण के दौरान श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव मिला।
- श्रमिको के स्थान पर जेसीबी मशीन व ठेकेदारों के द्वारा कार्य करवाया जाना।
- कार्यस्थलो पर ऑनलाईन व ऑफलाईन हाजरी में अन्तर पाया गया।
- ग्राम पंचायतो द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दलों को समय पर रिकोर्ड उपलब्ध नहीं कराना।
- सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर सूचना बोर्ड का अभाव।
- परिसम्पत्तियों में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता कम स्तर की पाया जाना।
- अंकेक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर कार्य ही नहीं होना पाया गया जबकि कार्य की राशि का व्यय किया जा चुका है।
- व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का उपयोग जिस उद्देश्य के लिये होना चाहिये, उसके लिये न होना।
- अनुपयोगी कार्यो को स्वीकृत करना व निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य करवाना।
- लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये हर माह की दिनांक 07 को रोजगार दिवस मनाये जाने का अभाव।
- ग्राम पंचायतो में एक ही परिवार के दो व्यक्ति के नाम दो जॉब कार्ड लागू करना।
- अधिकांश ग्राम पंचायतो में Measurement Book उपलब्ध नहीं करवाना, Measurement Book के माप–तौल में गलतियां पाना व कुछ स्थानों पर Measurement Book खाली भी देखा जाना।
- महात्मा गॉधी नरेगा एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों में 07 रजिस्टरों के संधारण का अभाव।

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Chauhan
Designation : Director
Date: 2024.11.21 17:20:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11935691

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के मूल उद्देश्यों एवं परिणामों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक अंकेक्षण द्वारा लिये गये प्रकरणों की और ध्यान दिया जायें।

आपसे निवेदन है कि वार्षिक रिपोर्ट में उजागर प्रकरणो की अनुपालना निर्धारित अवधि में करवाने हेतु सम्बन्धित जिला परिषद के अधिकारियों को पाबन्द करें तथा भविष्य में इन आक्षेपो की पुनरावृति न हो उसके लिये निरीक्षण/पर्यवेक्षण प्रणाली को सूदृढ बनाते हुए दोषी अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

दिनांक

क्रमांकः एफ 61(378)SSAAT /SA/MG-NREGAREPORT/2023–24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (EGS) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
3. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा
4. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त, राजस्थान
5. कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त
6. रक्षित पत्रावली

निदेशक
SSAAT

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Chauhan
Designation : Director
Date: 2024.11.21 17:20:04 IST
Reason: Approved